57

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प उज्जैन.
प्रकरण कमॉक– /निगरानी/2017–18

निगरानी-3467/2018/मंदसौर/भू.रा

1.कांताबाई पति सुरेश पाटीदार,
आयु 41 वर्ष,
2.बंशीलाल पिता जगन्नाथ पाटीदार फौत
वारिसान
अ.शांतिबाई विधवा बंशीलाल पाटीदार
आयु 70 वर्ष,
ब.कन्हैयालाल पिता बंशीलाल पाटीदार
आयु 48 वर्ष,
स.सुरेश पिता बंशीलाल पाटीदार,
आयु 45 वर्ष,
समस्त कृषक, सभी निवासीगण कचनारा,
तहसील सीतामउ, जिला मंदसौर
.....आवेदकगण

पार्थी अभिभाषक श्री कैलाश जोशी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 14/5/18
14.5.18
अधिवक्ता
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

483
14/5/18

विरूद्ध

1.कॅवरलाल पिता मॉगीलाल बागरी,
आयु 36 वर्ष,
2.रामदयाल पिता भॅवरलाल पाटीदार,
आयु 56 वर्ष निवासीगण कचनारा,
तहसील सीतामउ, जिला मंदसौर
.....अनावेदकगण

**न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमॉक 799/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनॉक 5.3.2018 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर यह निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।**

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3467/2018/मंदसौर/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19-6-2018 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 5-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त आदेश से स्पष्ट है कि अनावेदकगण के आने-जाने के रूढ़िगत रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किये जाने पर अनावेदकगण द्वारा रास्ता खुलवाये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण में अनावेदकगण के आने-जाने के रूढ़िगत मार्ग को आवेदक पक्ष द्वारा अवरूद्ध किये जाने के आधार पर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर, अवरूद्ध किये गये मार्ग को खुलवाये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-<br>"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"<br>उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>अध्यक्ष | |